

18/6/19

पत्रावली के अंतर्गत वकील जार्जी उप 1

वकील जार्जी ने विद्वा अवेक पर

का निवेदन किया कि पत्रकारों के मध्य

राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण

नहीं चलाना चाहते हैं अतः प्रकरण

बिना किया जावे

विद्वा अवेक तथा पत्रावली का अवलोकन

किया गया। न्यायाधीश के विद्वा अवेक

कोर्ट का आदेश खारिज

किया जाता है। पत्रावली केवल धुमाए होकर

नबल के कम व वायिल (संलग्न)

(अंत)